"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 नवम्बर 2016—— कार्तिक 18, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-7/सात-1/2016. —— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 56 सहपठित धारा 109 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ .-** (1) ये नियम भूमि अर्जन, उचित प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2016 कहलाएंगे.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषा.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30);

   (ख) **"प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण;

   (ग) **"पीठासीन अधिकारी"** से अभिप्रेत है, प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी.

   (2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां, जो इनमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है.

3. **प्रास्थिति.-** प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, जिला न्यायाधीश (अधिसमय वेतनमान) की प्रास्थिति का होगा तथा उसे ऐसे समकक्ष वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होगी, जैसा कि राज्य में उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के अधीन जिला न्यायाधीश (अधिसमय वेतनमान) को समय-समय पर पुनरीक्षित अनुसार प्राप्त हो :

परन्तु यह कि पीठासीन अधिकारी, जो राज्य शासन के अंतर्गत पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है, पेंशन तथा उस पर राहत की कुल राशि, ऐसे वेतन से घटा दी जायेगी.

4. **अवकाश.-** (1) पीठासीन अधिकारी को सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए तीस दिवस के अनुपात से अर्जित अवकाश की पात्रता होगी. अवकाश के दौरान, अवकाश एवं अवकाश वेतन की राशि की संगणना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे. पीठासीन अधिकारी, अपने जमा अर्जित अवकाश का पचास प्रतिशत का नगदीकरण किसी भी समय प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकेगा.

(2) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में बीस दिवस के अनुपात से चिकित्सा प्रमाण पत्र पर या निजी कार्यों पर अर्ध वेतन अवकाश तथा अर्ध वेतन अवकाश के लिए अवकाश वेतन, अर्जित अवकाश के दौरान अनुज्ञेय अवकाश वेतन के आधे के समतुल्य होगा.

(3) पीठासीन अधिकारी के स्वविवेक पर जमा अर्ध वेतन अवकाश के आधे से अनधिक अवकाश का परिवर्तन पूर्ण वेतन अवकाश में की जा सकेगी परन्तु इसे चिकित्सीय आधार पर लिया गया हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो. ऐसे परिवर्तित अवकाश के विरुद्ध अर्ध वेतन अवकाश की दुगनी मात्रा विकलित की जायेगी.

5. **अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी.-** पीठासीन अधिकारी के मामले में, राजस्व मंत्रालय का भारसाधक मंत्री अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होंगे.

6. **भविष्य निधि.-** यदि पीठासीन अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि का अभिदाता रहा है तो वे अपने विकल्प पर सामान्य भविष्य निधि में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे.

7. **यात्रा भत्ते.-** पीठासीन अधिकारी को दौरे या स्थानांतरण (प्राधिकरण में पदभार ग्रहण करने अथवा प्राधिकरण से उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर जाने सहित) के दौरान यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, निजी सामग्री के परिवहन इत्यादि के लिए उसी दर से, जैसा कि राज्य में शासन के प्रमुख सचिव को लागू है, प्राप्त करने की पात्रता होगी.

8. **अवकाश यात्रा रियायत.-** पीठासीन अधिकारी को अवकाश यात्रा रियायत, उसी दर से प्राप्त करने की पात्रता होगी, जैसा कि राज्य में शासन के प्रमुख सचिव को लागू है.

9. **चिकित्सा उपचार.-** पीठासीन अधिकारी को ऐसे चिकित्सा उपचार तथा प्रतिपूर्ति सुविधा की पात्रता होगी, जैसा कि राज्य में शासन के प्रमुख सचिव को लागू है.

10. **दूरभाष सुविधा.-** पीठासीन अधिकारी को ऐसे दूरभाष एवं मोबाईल सुविधा प्राप्त करने की पात्रता होगी, जैसा कि राज्य में शासन के प्रमुख सचिव को लागू है.

11. **आवास.-** प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को प्रचलित नियमों (आदेश एफ क्र. 13040/21-ब/छ.ग./06, दिनांक 31-10-2006) समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार जिला न्यायाधीश (अधिसमय वेतनमान) को अनुज्ञेय श्रेणी के सामान्य पूल से शासकीय आवास की पात्रता होगी.

12. **वाहन सुविधा.-** पीठासीन अधिकारी को ऐसे वाहन एवं ईंधन (फ्यूल) प्राप्त करने की पात्रता होगी, जैसा कि राज्य में शासन के प्रमुख सचिव को अनुज्ञेय है.

13. **अवशिष्ट उपबंध.-** प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की सेवा की शर्तों से संबंधित ऐसे मामले, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया हो, उसके निर्णय के लिये राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा राज्य शासन का निर्णय प्राधिकरण पर बंधनकारी होगा.

14. **शिथिलीकरण की शक्ति.-** राज्य शासन को किसी भी वर्ग अथवा संवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, इन नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति होगी.

No. F 8-7/Seven-1/2016 . — In exercise of powers conferred under Section 56 read with sub-section (2) of Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, makes the following rules, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may called the Land Acquisition, Fair Compensation, Rehablititation and Resttlement (Salary Allowances and Other Conditions of Service of Presiding Officer) Rules, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013);
(b) **"Authority"** means the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority under sub-section (1) of Section 51 of the Act;
(c) **"Presiding Officer"** means Presiding Officer of the authority.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Status.-** The Presiding Officer of the authority shall enjoy the status of District Judge (Super Time Scale) and shall be entitled to receive the same pay and allowances as available to the District Judge (Super Time Scale) under the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 in the State as revised from time to time.

Provided that the presiding officer, who is in receipt of pension in respect of previous service under the State Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and relief thereon.

4. **Leave.-** (1) The Presiding Officer shall be entitled to earned leave at the rate of thirty days for every completed calendar year of service or a part thereof. The calculation of leave and payment of leave salary, during leave, shall be governed under the provisions of Chhattisgarh Civil Services (leave) Rules, 2010. A Presiding Officer may be entitled to encashment of fifty percent of earned leave to his credit at any time.

(2) Half pay leave of medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave.

(3) Leave of half pay not exceeding half the amount due can be commuted to full pay leave at the discretion of the Presiding Officer, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority. Twice the amount of half pay leave shall be debited against such commuted leave.

5. **Leave Sanctioning Authority.-** In case of Presidning Officer, the Minister-in-charge of the Ministry of Revenue shall be the leave sanctioning authority.

6. **Provident Fund.-** If the Presiding Officer had be on a subscriber of General Provident Fund, then he shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option.

7. **Travelling Allowances.-** The Presiding Officer while on tour or transfer (including the joining undertaken to join the authority or on the expiry of his term with authority to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects, etc., at the same rates as are applicable to the Principal Secretary to the Government in the State.

8. **Leave Travel Concession.-** The Presiding Officer shall be entitled to leave travel concession at the same rates as are applicable to the Principal Secretary to the Government in the State.

9. **Medical Treatment.-** The Presiding Officer shall be entitled to medical treatment and reimbursement facility as applicable to the Principal Secretary to the Government in the State.

10. **Telephone Facility.-** The Presiding Officer shall be entitled to telephone and mobile facility as applicable to the Principal Secretary to the Government in the State.

11. **Accommodation.-** The Presiding Officer of the authorty shall be entitled for official residence from the general pool accommodation of the type admissible to the District Judge (Super Time Scale) as per prevalent rules. (Order F. No. 13040/XXI-B/C.G./06, dated 31-10-2006), as amended from time to time.

12. **Facility of Conveyance.-** The Presiding Officer shall be entitled to vehicle and fuel as admissible to the Principal Secretary to the Government in the State.

13. **Residuary Provision.-** Matters relating the conditions of service of the Presiding Officer of the authority with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred to the State Government for its decision and the decision of the State Government thereon shall be binding on the authority.

14. **Powers to Relax.-** The State Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.